# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 91/16 तारीख रजू:– 11.08.16

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

**उनवान**

1. मुंशी पुत्र परसादी
2. जलको पुत्री परसादी
समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम।

**वादी**

बनाम

1. रामहरी पुत्र भजन
2. छाज्या पुत्र विशन्या (मृतक)
2/1 रामस्वरूप पुत्र छाज्या
2/2 सुआ पुत्र छाज्या
2/3 रामजीलाल पुत्र छाज्या
2/4 गिदोडी / छाज्या
समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम।
3. तहसीलदार टोडाभीम।
4. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी।

**प्रतिवादीगण**

**दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा (वादी)**
**श्री मनोज कुमार शर्मा प्रतिवादी न0 1**
**श्री रामभरोसी गुप्ता प्रतिवादी न0 4**

**एवं**

मु0न0 141/16 तारीख रजू:–07.12.16

**उनवान**

1. रामहरी पुत्र भजन जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

वादी

**बनाम**

1. मुंशी पुत्र परसादी जाति मीना निवासी करीरी।
2. जलको पुत्री परसादी पत्नि हरजी निवासी करीरी हालवासी निहालपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा
3. शिवलाल पुत्र बीरबल
4. रामरतन पुत्र हरभान
5. फतेहराम पुत्र तुलसी
6. दयाराम पुत्र फूलचन्द
7. रामेश्वर पुत्र किशनलाल
8. महेश पुत्र अमरचन्द
9. गंगासहाय पुत्र राजू
10. अमर पाल पुत्र बीरबल
11. संतोष पुत्र शिवलाल
12. छाज्या पुत्र घसीडया
समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी
13. शाखा प्रबन्धक बैक आफ बडौदा करीरी।
14. तहसीलदार टोडाभीम।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

**दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा (वादी)**
**श्री सुरेश चन्द शर्मा प्रतिवादी न0 1 व 2**

**निर्णय** **दिनांकः– 25.09.2019**

दोनो प्रकरण समान तकास्मा प्रकृति के होने से निर्णय एक साथ किया जारहा है। मु0 न0 91/16 का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करीरी के आराजी ख0न0 111/0.07, 204/0.14, 458/0.09, 780/0.43, 781/0.02, 837/0.32, 902/0.23, 1207/0.28, 1208/0.21, 1214/0.05, 1215/0.08 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। तथा ग्राम करीरी के ख0न0 684/0.12, 685/0.12, कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 2 ने प्रतिवादी न0 1 से यह भूमि कय की है। उक्त आराजीयात के लगान व डोल–मेड को लेकर विवाद बना रहता है सयुक्त खातेदारी मे रहकर काश्त करना संभव नही है। बॉका दिनांक 06.08.16 को आराजी की देख–भाल कर रहा था। प्रतिवादी न0 1 ने बोला कि तुम्हारे पास ज्यादा आराजी है अबकी बार मै काश्त करूगॉ। वादी ने समझाया कि तहसील मे जाकर बटवारा करा लेते है। किन्तु वह तहसील मे जाकर बटवारा कराने को तैयार नही है इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री फरमाकर उक्त वर्णित आराजीयात मे मौके पर कब्जे व हिस्सानुसार बटवारा स्कीम मंगवाकर अलग–अलग खातेदारी कायम की जावे।

प्रतिवादी न0 3 व 4 वावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए। इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। बाद मे प्रतिवादी न0 4 ने प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल्स 7 का पेश किया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई। जबाब दावा पेश किया। रामहरी पुत्र भजन मीना ने बैक आफ बडौदा शाखा करीरी से ऋण प्राप्त कर रखा है उसके हिस्से की 1/2 बैक के पक्ष मे रहन है। बैक का ऋण चुकता हुए बिना रिकार्ड मे तब्दील नही की जाएगी। प्रतिवादी न0 2 छाज्या के फौत होने पर उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया।

मु0न0 141/16 मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करीरी के आराजी ख0न0 111/0.07, 204/0.14, 458/0.09, 780/0.43, 781/0.02, 837/0.32, 902/0.23, 1207/0.28, 1208/0.21, 1214/0.05, 1215/0.08 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। तथा ग्राम करीरी के ख0न0 684/0.12, 685/0.12, कुल किता 2 कुल रकवा 0.24 है0 मे वादीगण बहिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 1 बहिस्सा 3/8 व प्रतिवादी न0 2 बहिस्सा 1/8 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात मे वादी एंव प्रतिवादी न0 1 व 2 मुताबिक हिस्सा मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है प्रवितादी न0 1 व 2 ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है। उक्त आराजीयात के लगान व डोल–मेड को लेकर विवाद बना रहता है सयुक्त खातेदारी मे रहकर काश्त करना संभव नही है। बॉका दिनांक 22.11.16 को आराजी की देख–भाल कर रहा था। प्रतिवादीगण एकराय होकर वादी की आराजी पर आये और वादी से कहा कि तू इस आराजी की काश्त मत कर हम काश्त करेगे। तो वादी ने प्रतिवादी न0 1 व 2 से कहा कि बहामी बटवारे मे यह आराजी मेरे बटवारे मे आयी है। तुम्हे तसल्ली नही है तो विधिवत बटवारा करा लेते है। तो ये लोग नाराज हो गये और कहा कि हम प्रतिवादी न0 3 ता 12 के साथ मिलकर तुझे इस आराजी से बेदखल करके रहेगे। जबकि प्रतिवादी न0 3 ता 12 का उक्त आराजीयात मे न तो कोई हिस्सा है और नाही कोई संबध है नाहक ही आराजी से बेदखल करने पर आमदा है। प्रतिवादी न0 1 व 2 से तहसील मे जाकर बटवारा कराने को कहा परन्तु

उपजिला कलक्टर

प्रतिवादीगण तहसील मे जाने को तैयार नही है इस कारण से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री फरमाकर ग्राम करीरी के आराजी ख0न0 111/0.07, 204/0.14, 458/0.09, 780/0.43, 781/0.02, 837/0.32, 902/0.23, 1207/0.28, 1208/0.21, 1214/0.05, 1215/0.08 कुल किता 11 कुल रकवा 1.92 है0 मे वादी के 1/2 हिस्से का मुताबिक कब्जा बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर अलग खाता कायम कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 3 ता 14 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी न0 1 व 2 की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। उक्त दोनो प्रकरणो मे प्रतिवादी गण द्वारा जबाब पेश नही किए गए है। दौराने सुनवाई वकी ल उभयपक्ष ने सहमति प्रकट की कि दोनो प्रकरण तकास्मा से संबधित है। पक्षकार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। दोनो दावो को एक साथ मिलाकर हिस्सानुसार एवं कब्जानुसार प्राथमिक डिक्री फरमादिया जावे। तथा तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब करवाई जावे।

बाद सुनवाई दोनो प्रकरणो मे एक साथ प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम प्राप्त होने पर वकील उभयपक्षकारान ने बटवारा स्कीम का अवलोकन कर दावा मुताबिक बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्षकारान की बहस का मनन करते हुए पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया बटवारा स्कीम के अनुसार दोनो दावे फाईनल डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः मुंशी पुत्र परसादी हिस्सा 3/4 जलको पुत्री परसादी हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम करीरी के ख0न0 111/0.07, 458/0.09, 685/0.12, 837/0.32, 1207/0.28, 1208/0.21का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रामहरि पुत्र भजन जाति मीना निवासी करीरी खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा करीरी को ख0न0 204/0.14, 780/0.43, 781/0.02, 902/0.23, 1214/0.05, 1215/0.08 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी द्वारा रामस्वरूप, सुआ रामजीलाल, गिदोडी पि. छाज्या, गुड्डी, पुत्री, छाज्या हिस्सा बराबर को छाज्या के कायम मुकाम बनाकर पेश किये है बटवारा स्कीम मे छाज्या के वारिसान मे गिदोडी पुत्र छाज्या के स्थान पर रिकार्ड के अनुसार रंगलाल पुत्र छाज्या दर्ज होना बताया है अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि ख0न0 684/0.12 मे छाज्या के वारिसान की जॉच कर अंकन करे। जाता है। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय की प्रति दोनो प्रकरणो की पत्रावलीयो मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

**उनवान**

1. मुंशी पुत्र परसादी
2. जलको पुत्री परसादी
   समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम।

**वादी**

बनाम

1. रामहरी पुत्र भजन
2. छाज्या पुत्र विशन्या (मृतक)
   2/1 रामस्वरूप पुत्र छाज्या
   2/2 सुआ पुत्र छाज्या
   2/3 रामजीलाल पुत्र छाज्या
   2/4 गिदोडी / छाज्या
   समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम।
3. तहसीलदार टोडाभीम।
4. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा करीरी।

**प्रतिवादीगण**

**दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा (वादी)**
**श्री मनोज कुमार शर्मा प्रतिवादी न0 1**
**श्री रामभरोसी गुप्ता प्रतिवादी न0 4**

**एवं**

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

**उनवान**

1. रामहरी पुत्र भजन जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम।

वादी

**बनाम**

1. मुंशी पुत्र परसादी जाति मीना निवासी करीरी।
2. जलको पुत्री परसादी पत्नि हरजी निवासी करीरी हालवासी निहालपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा
3. शिवलाल पुत्र बीरबल
4. रामरतन पुत्र हरभान
5. फतेहराम पुत्र तुलसी
6. दयाराम पुत्र फूलचन्द
7. रामेश्वर पुत्र किशनलाल
8. महेश पुत्र अमरचन्द
9. गंगासहाय पुत्र राजू
10. अमर पाल पुत्र बीरबल
11. संतोष पुत्र शिवलाल
12. छाज्या पुत्र घसीडया
    समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी
13. शाखा प्रबन्धक बैक आफ बडौदा करीरी।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

14. तहसीलदार टोडाभीम।

**दावा वावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मु0न0 91/2016 व 141/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व श्री मनोज कुमार शर्मा प्रतिवादी न0 1 श्री रामभरोसी गुप्ता प्रतिवादी न0 4 मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः मुंशी पुत्र परसादी हिस्सा 3/4 जलको पुत्री परसादी हिस्सा 1/4 जाति मीना निवासी करीरी को ग्राम करीरी के ख0न0 111/0.07, 458/0.09, 685/0.12, 837/0.32, 1207/0.28, 1208/0.21का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रामहरि पुत्र भजन जाति मीना निवासी करीरी खातेदार राहिन बी.ओ.बी. शाखा करीरी को ख0न0 204/0.14, 780/0.43, 781/0.02, 902/0.23, 1214/0.05, 1215/0.08 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी द्वारा रामस्वरूप, सुआ रामजीलाल, गिदोडी पि. छाज्या, गुड्डी, पुत्री, छाज्या हिस्सा बराबर को छाज्या के कायम मुकाम बनाकर पेश किये है बटवारा स्कीम मे छाज्या के वारिसान मे गिदोडी पुत्र छाज्या के स्थान पर रिकार्ड के अनुसार रंगलाल पुत्र छाज्या दर्ज होना बताया है अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि ख0न0 684/0.12 मे छाज्या के वारिसान की जॉच कर अंकन करे। ~~जाता है~~। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा।

निज....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.09.2019 को जारी की गई।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

दस्तखत.......................... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा..............................

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकाल नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | म्हनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | वावत इजराय हुक्मनामा | | |
| ववत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |